कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 1891 / 23 एल॰ए॰ दिनांक 07/09/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 193/12–1 दि॰ 12.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/16517/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :–

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	Toal period for which the land propsed to be diverted is not mentioned in Online Part-I	Correction has been made. 99 year entered. In Part-I
2	The copy of GIS software generated geo referenced digital map is not uploaded in the designated column in Part-I and the map uploaded is google map which does not serve the purpose.	Corrected Geo- Map has been uploaded in Part-I (C) & Additional Information. A soft copy is also attached.
3	The digital map of area proposed for CA is provided with only four geo-coordinate shows on google map which does not serve the purpose.	Corrected Map has been uploaded in Part-I (L) & Additional Information. A soft copy is also attached.
4	If this project involve boundry of two villages as mentioned in the list of village to be benifitted and village wise break up provided with hard copy of the proposal then proceedings of village level committee meeting pertaining to another village may also be furnished with the FRA certificate.	Village Maithana Villagers NOC uploaded in FRa Paper in Part I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.
5	The copy of FRA certificate uploaded in the designed place is undated.	Correction has been made and signed copy of FRA is now uploaded in Part-I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.
6	CA scheme provided with the hard copy of the proposal is area 2.6 ha. While it should for double the area proposed for diversion.	CA proposed area already uploaded just double as diverted area.
7	As per Decision Support (DSS) Analysis the area of CA shown in KML file of CA in Part-II shows the extent of area 6.31 ha. Instead of 8.176 ha. Area proposed for CA. May upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA	Dence Forest Certificate attached in Additional Information . A soft copy is also attached.

	in addition out of toal area of 8.176 ha proposed for CA, 4 ha is on moderately dense forest. State Govt. map replace this 4 ha. Area with some other area suitable for CA ad provided/upload revised digital map, So I toposheet map and KML file of the complete 8.176 ha CA area again after making the above change.	
8	The area kaving 0.4 density as mentioned in PartI but 0.4 density dose not account for very dense forest for which the State Govt. had calculated the NPV. State Govt. may correct the calculation of NPV.	The CA Patch is not in dense area for this Dence Forest Certificate attached in Additional Information . A soft copy is also attached.
9	Employment gereration detail furnished in on line Part I seems inappropriate. The State Govt. may review the data and correct data may fill in omn line Part I, if required.	Correction has been made in Part-I (E) in Employement Details
10	The copy of MOU signed between user agency and the present owner of the land proposed for CA uploaded in online Part- I at designated column is not opened. The State Govt may upload it again.	The copy of MOU signed between user agency and the present owner of the land proposed for CA is now uploaded in Part-I (L) & Additional Information. A soft copy is also attached.

सलंग्न – सूचना।

7-9-15

अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

डिजिटल मैप :- जनपद चमोली के अर्न्तगत चमोली -पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुए अनसूचित जाति ग्राम चल्थर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

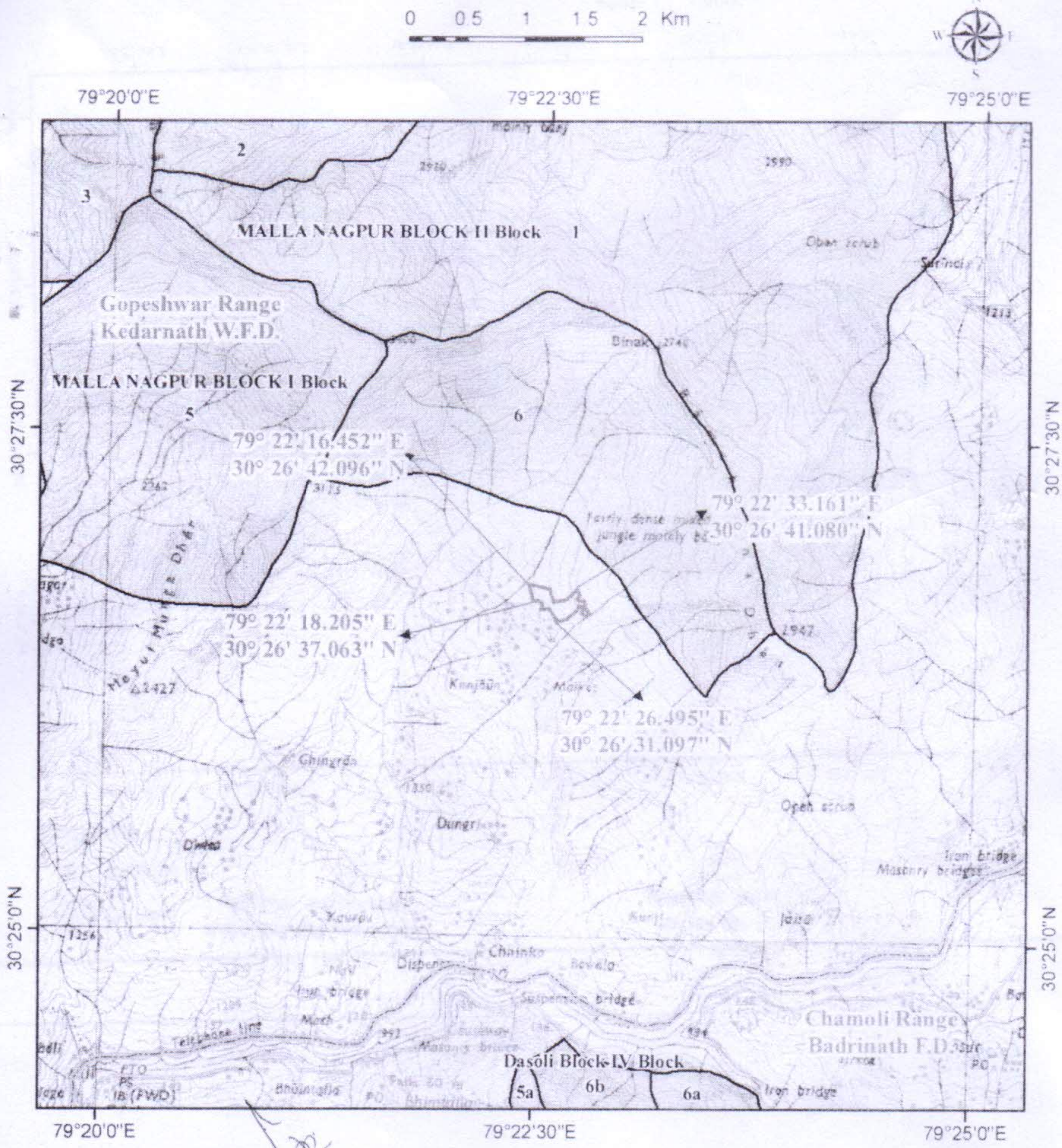

Legend

- Ca Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर (चमोली)

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत चमोली –पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चल्थर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

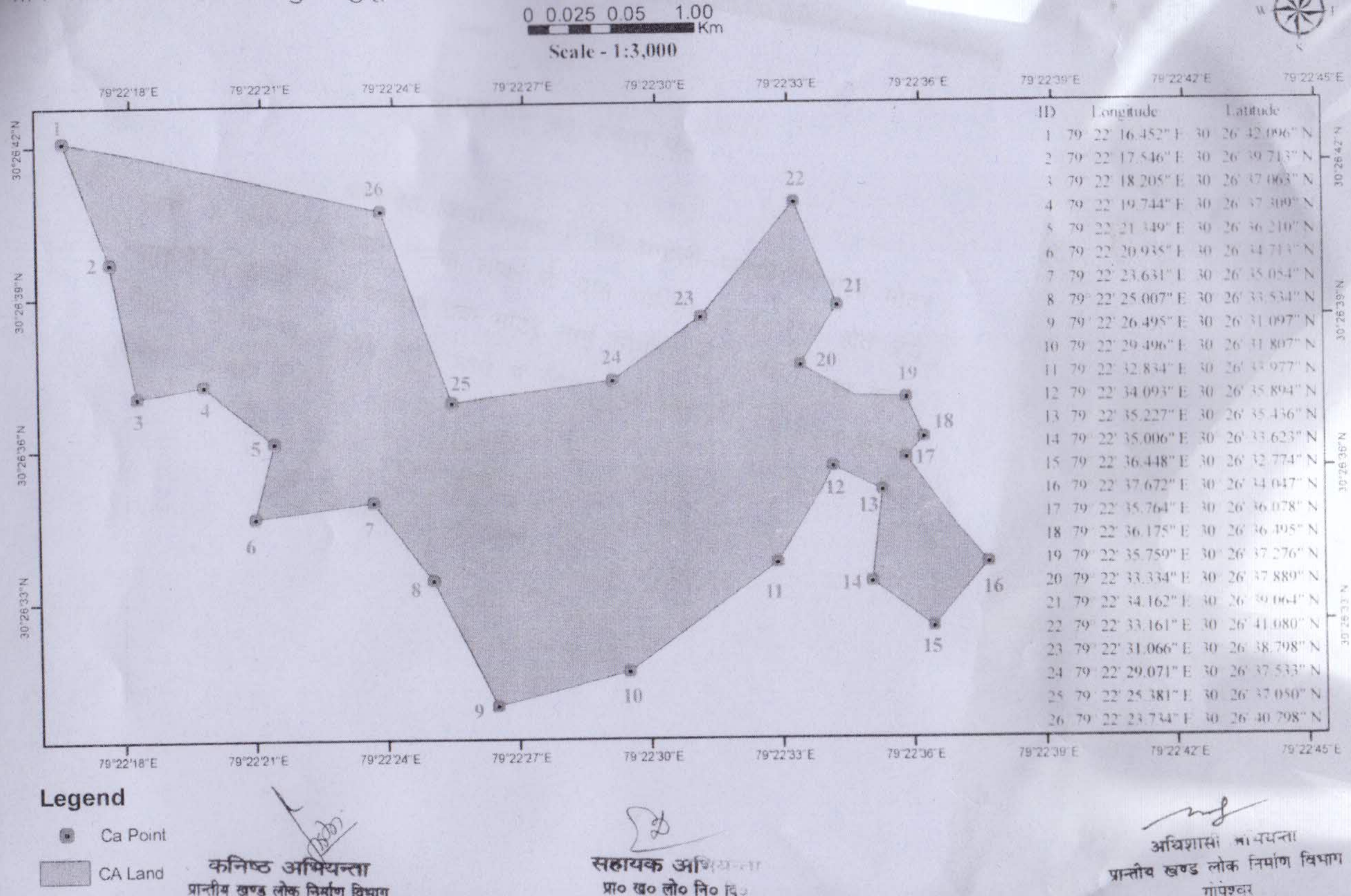

ID	Longitude	Latitude
1	79° 22' 16.452" E	30° 26' 42.096" N
2	79° 22' 17.546" E	30° 26' 39.713" N
3	79° 22' 18.205" E	30° 26' 37.063" N
4	79° 22' 19.744" E	30° 26' 37.309" N
5	79° 22' 21.349" E	30° 26' 36.210" N
6	79° 22' 20.935" E	30° 26' 34.713" N
7	79° 22' 23.631" E	30° 26' 35.054" N
8	79° 22' 25.007" E	30° 26' 33.534" N
9	79° 22' 26.495" E	30° 26' 31.097" N
10	79° 22' 29.496" E	30° 26' 31.807" N
11	79° 22' 32.834" E	30° 26' 33.977" N
12	79° 22' 34.093" E	30° 26' 35.894" N
13	79° 22' 35.227" E	30° 26' 35.436" N
14	79° 22' 35.006" E	30° 26' 33.623" N
15	79° 22' 36.448" E	30° 26' 32.774" N
16	79° 22' 37.672" E	30° 26' 34.047" N
17	79° 22' 35.764" E	30° 26' 36.078" N
18	79° 22' 36.175" E	30° 26' 36.495" N
19	79° 22' 35.759" E	30° 26' 37.276" N
20	79° 22' 33.334" E	30° 26' 37.889" N
21	79° 22' 34.162" E	30° 26' 39.064" N
22	79° 22' 33.161" E	30° 26' 41.080" N
23	79° 22' 31.066" E	30° 26' 38.798" N
24	79° 22' 29.071" E	30° 26' 37.533" N
25	79° 22' 25.381" E	30° 26' 37.050" N
26	79° 22' 23.734" E	30° 26' 40.798" N

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर (चमोली)

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

सघन वन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम, पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुजौं मैंकोट के खसरा संख्या 1877 मध्ये में दिया गया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल सघन वन नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 30-5-2015 at time 14:00 Hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 4.235 hect for the construction of Construction of Golim-Pool-Ropa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palthi-Sartoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 8.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 30.5.2015

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli
जिलाधिकारी
चमोली

(17)

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :- **Dated :-** 30-5-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.235 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Golim-Pool-Ropa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palthi-Sartoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 8.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.235 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः— जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम–पोल–रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम–पोल–रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.235 हे॰ सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि॰ 21.5.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:—

1— श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष
2— श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य
3— श्री आर.एल. [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य / सचिव
4— श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार बी॰डी॰सी॰ क्षेत्र — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत सिकोटी नामक स्थान से गोलिम रोपा से अ.जा.ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.235 हे॰ वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा॰ सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव	बी॰डी॰सी॰क्षेत्र सदस्य
उप जिलाधिकारी चमोली			क्षेत्र पंचायत सदस्य सरतोली वि०ख०-दशोली (चमोली)

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली–पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दषोली में चमोली–पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.92 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 3.92 हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.92 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभाओ की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान

16/08/15

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह॰ बलमती दिन॰ ... वि॰ख॰ दशोली, चमोली

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गोलिम ह॰ ... दि॰ ... वि॰ ख॰ दशोली (चमोली)

सीतादेवी
गीता देवी प॰ हरीशलाल
नरेश लाल S/o आनन्दलाल
(जगदीशलाल)
जयपाल

PHOTOCOPY ATTESTED
AE
सहायक अभियन्ता
प्रा॰ ख॰ लो॰ नि॰ वि॰
गोपेश्वर

आज दिनांक ...11...3.....15.....को ग्राम पंचायत....हरमनी........की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

① किशन सिंह
② [illegible]
③ रजपालसिंह
④ मोहनसिंह

ग्राम पंचायत हरमनी, वि०ख० दशोली, चमोली

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत हरमनी, दिनांक 11/03/15, वि० ख० दशोली चमोली

PHOTOCOPY ATTESTED

AE

सहायक अभियन्ता, ग्रा० अ० लो० नि० वि० गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 13.3.15 को ग्राम पंचायत सरतोली की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

1. गोपाल सिंह बर्त्वाल
2. शिशुपाल सिंह बर्त्वाल
3. रुद्र सिंह बर्त्वाल

ग्राम पंचायत
ह0
दिनांक...............
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 वेलमती
वि0ख0 दशोली, चमोली

PHOTOCOPY ATTESTED
सहायक अभियन्ता
ग्रा० अ० यो० नि० खण्ड
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 15.3.15 को ग्राम पंचायत रोपा–वाळकड की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रोपा
ह॰ गीतादेवी
दिनांक
वि॰ ख॰ दशोली

1. प्रमोद सिंह
2. विनोद सिंह
3. [illegible]
4. देवेन्द्र सिंह
5. रामसिंह
6. दर्शन सिंह
7. मुकन्दी
8. पंकज सिंह
9. [illegible]
10. मोहन सिंह
11. बल्देव सिंह
12. [illegible]
13. बलवन्त सिंह
14. [illegible] सिंह

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता
ग्रा॰ नि॰ वि॰ खण्ड
गोपेश्वर

कि जो रोड की सर्वे गोलिम से कालीमाटी तक हुई कि जिसमें की हमारे ग्राम सभा सेमडुंगी, हरिजन बस्ती व कालीमाटी तथा रोपा चलथर से आनेवाली रोड पर कोई आपत्ती नहीं लगा रहे है,

अत: महोदय जी से निवेदन है, की इस रोड के कार्य को जल्द से जल्द सुरु कर दिया जाये की कृपा कीजिए।

ग्राम प्रधान सेमडुंगी

ग्राम प्रधान रोपा चलथर

प्रधान, ग्राम पंचायत सेमडुंगी
ह० विनीता देवी
दि० 26/6/15
वि० ख० चमोली (चमोली)

(20) बसन्ती देवी

1. [illegible] राकेश लाल
2. गजपाल
3. [illegible]
4. सुरज लाल
5. आशाराम
6. मुकन्दी लाल
   कलम लाल
7. पुष्कर लाल
   सतीश लाल
8. जगदीश लाल
9. गिरीश चन्द
10. मोतीलाल
11. बसन्ती लाल
12. प्रकाश चन्द्र
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]

21. [illegible]
22. जुबली देवी
23. शारदा देवी
24. Dinesh Prasad
25. सुनीता देवी
26. Arjun kumar
27. राजेश्वरी देवी
28. [illegible]
29. [illegible]
30. कपूरी
31. स्वारी लाल

PHOTOCOPY ATTESTED
AE

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में</u>

परियोजना का नामः- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1877 कुजौ-मैकोट क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता,
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

जिलाधिकारी
चमोली

जिलाधिकारी,
चमोली